to be observed by various Central Government employees; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) to (c) Existing instructions envisage various measures for enforcement of punctuality. In accordance with these instructions, suitable measures for enforcement of punctuality are to be evolved by the Head of Office/Department keeping in view the broad objectives and general instructions in the matter. Information relating to enforcement of punctuality and discipline in various offices is not centrally monitored/available.

दानिक्स अधिकारियों की मांगें

3309. **श्री ओम प्रकाश कोहली:**
श्री रामगोपाल यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 1998 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "दानिक्स ऑफीसर्स अप इन आर्म्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो "दानिक्स" अधिकारियों की मांगें क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली में कार्यरत "दानिक्स" संवर्ग के अधिकारियों ने जुलाई के प्रथम सप्ताह से काम बंद करने की योजना बनाई है; और

(घ) इन मांगों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार ने ऐसे अधिकारियों को काम बंद करने से रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली-अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा (दानिक्स) के अधिकारी अपनी सेवा से संबंधित वेतन और ग्रेड के ढांचे के बारे में पांचवे केन्द्रीय वेतन-आयोग द्वारा की गई सिफारिशें क्रियान्वित किए जाने की मांग कर रहे हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-सरकार ने सूचित किया था कि दिल्ली-अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा (दानिक्स) के अधिकारियों ने जुलाई 01, 1998 से तीन दिन के सामूहिक अवकाश पर चले जाने की योजना बनाई थी, परंतु अन्ततोगत्वा उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर भी, सरकार ने दिल्ली-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (दानिक्स) के अधिकारियों की मांगों पर ध्यान दिया है।

Protest from Trade Unions against Abolition of Posts

3310. **SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:**
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Indian National Trade Union Congress and other trade unions have warned Government against the crippling effect that Government's decision to abolish the 3.5 lakh vacant posts, would have on the country's economy;

(b) if so, the details of their representations; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) and (b) Yes Sir. The demand for not accepting the recommendations of the Fifth Pay Commission regarding abolition of 3.5 lakh vacant posts was one of the 15-point charter of demands submitted by the Staff Side for consideration of the Government, consequent upon the submission of the Pay Commission's Report.